

(राजस्थान सरकार)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 14/2024

पंजीकरण संख्या :- 2024/34

**बउनवान**

बिहारी आयु 55 वर्ष पुत्र तुलस्या मीना निवासी ग्राम ब्रह्माखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारों  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, हरनावदा शाहजी

(रेस्पोंडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1. श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक

(अपीलांट)

2. पेरोंकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 24.05.2024**

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 620/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2023 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम ब्रह्माखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 10 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 03 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 27.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण में विवादित भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त संबंधित रिपोर्ट तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से प्रत्यक्ष दृष्टया ही काबिल खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट को अब कोई सरकारी भूमि या पटार भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2023 बाबत् एक माह की सजा एवं जुर्माना निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत पेरोंकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2078 रबी में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 655/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट अनुसार संवत् 2079 ग्राम ब्रह्माखेडी खसरा नंबर 10 की रकबा 1 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर फसल सरसों की बोई गई है। प्रकरण में नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी के पत्रांक 25 दिनांक 01.05.2024 से प्राप्त विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार रबी संवत् 2080 ग्राम ब्रह्माखेडी की आराजी खसरा नम्बर 10 पर अपीलान्ट ने 01 बीघा भूमि पर गेहूँ की फसल बोकर अतिक्रमण किया जाकर फसल काश्त की गई है। अतिक्रमी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित होता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में अनुपस्थित रहा है। यह न्यायालय पेरोंकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 620/2023 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम बिहारी मीना मे पारित निर्णय दिनांक 20.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारों